राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	601/2017 व 567/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज — मन्जुदेवी / राजेन्द्र दायमा । 223 RRAct	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/1/18	आज यह पत्रावलीयाँ वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी / रेस्पोडेन्टस द्वारा एक वाद बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इन तथ्यो के साथ प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादी स. 1 व 2 की संयुक्त कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी 879/754 रकबा 5 बिघा वाके ग्राम बबेरवालो की ढाणी पटवार हल्का गोबनेर स्थित है जिसका विधिक रूप से विभाजन नही हो रखा है, जिसमे वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी स-1 का 4/10 हिस्सा, प्रतिवादी स-2 का 1/10 हिस्सा है, जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में तदनुसार अंकित है। प्रश्नगत आराजी को खातेदारो ने आपसी सहमति से मौखिक रूप से विभाजन करके अपने-अपने हिस्से पर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु प्रश्नगत आराजी का विधिवत विभाजन नही हो रखा है। वादी ने कई बार प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे काश्त के अनुसार वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन कराने को कहा, जिससे पूर्व मे तो प्रतिवादीगण हाँ करते रहे लेकिन दिनांक 10/11/2016 को वादग्रस्त आराजी का मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन करने को कहा तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मंजुदेवी / राजेन्द्र शर्मा

तारीख हुक्म	601/2017 व 567/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एवं मनचाही जगह पर कब्जा करने निर्माण करने एवं भूमि विक्रय करने की धमकी दी, जिससे वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर इस्तदुआ कि, की वाद विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 व 2 बाबत् विभाजन का डिक्री किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य आराजी ख.न. 879/754 वाके ग्राम बबेरवालो की ढाणी का मौके के कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन किया जाकर नक्शे कुर्रेजात मंगाये जावे तथा बाद नक्शे कुर्रेजात के अन्तिम डिक्री पारित की जाकर भूमि व लगान की फाटबन्दी भी की जावे तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नक्शे मे इसी अनुसार अमल दरामद करवाये जावे। साथ ही प्रतिवादी सं. 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे की वे आराजी ख.न. 879/754 वाके ग्राम बबेरवालो की ढाणी में वादी के कब्जे काश्त उपभोग - उपयोग मे किसी प्रकार की मदाखलत, व्यवधान, बाधा उत्पन्न नही करे, न ही बिना विधिक विभाजन करवाये कोई निर्माण इत्यादि करे, न ही हस्तान्तरण, बेचान, रहन बय मुन्तकील करे तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मन्जुदेवी / राजेन्द्र डायमा

तारीख हुक्म	601/2017 व 567/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रकरण मे प्रतिवादीनी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ, जिसमे अंकित किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि मृतक सुरेश कुमार की है। मृतक सुरेश कुमार के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अलावा उनके दो पुत्र व एक पुत्री और वारिस है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर कोई वैधानिक स्वत्व एवं स्वामित्व नही है ऐसे मे पक्षकारो द्वारा मौके पर आपसी सहमति से विभाजन कर कब्जे मे दोनो का तथ्य बनावटी है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16/3/2017 को पक्षकारान के अभिभाषक द्वारा न्यायालय मे निवेदन किया गया कि प्रकरण मे तनकीयात कायम न करके मौके, कब्जे व राजस्व रिकार्ड व रास्ते की व्यवस्था के साथ प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी जावे। तदनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16/3/2017 को वाद में निम्न क्रियात्मक आदेश पारित करते हुये कि वादी का वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रारम्भिक डिक्री किया। आराजी ख.न 879/754 रकबा 7 बिस्वा वाके ग्राम बबेरवालो की ढाणी का मौके के कब्जे अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्से

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

अनुसार व रास्ते की व्यवस्था को ध्यान मे रखते हुये अलहदा-अलहदा किया जाकर नक्शे कुर्रेजात दो प्रतियो मे मंगाये जाने का आदेश पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रतिवादी / अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत की गई। जिसका अपील स. 601/2017 डाला गया।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण मे कुर्रेजात रिपोर्ट आने के पश्चात दिनांक 30/6/2017 को अन्तिम डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध भी प्रतिवादीगण / अपीलान्टस द्वारा अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसका अपील संख्या 567/2017 डाला गया।

चूंकी दोनो प्रकरण समान पक्षकारो के मध्य है एवं एक ही तरनगात आराजी के सम्बन्ध में होने से दोनो अपीलो का निस्तारण दोनो पक्षकारो की इकजाई बहस सुनकर इस एक ही निर्णय के माध्यम से किया जा रहा। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर संलग्न की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

तारीख हुक्म	मन्जुदेवी / राजेन्द्र शर्मा 601/2017 व 567/2017 **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रकरण में बहस अभिभाषक पक्षकारान समाप्त की गई।

अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस के प्रारम्भ मे निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण तनकीहात कायम करने हेतु नियत था, जिसमे पक्षकारान द्वारा कोई सहमति नही दी गई थी न ही कोई राजीनामा प्रस्तुत किया गया था। मात्र जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है वह नियम विरूद्ध पारित की गई है। अतः निरस्त की जावे। अभिभाषक अपीलार्थी ने अन्तिम डिक्री के सम्बन्ध मे बहस मे निवेदन किया कि कुर्रेजात मे पूर्व अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नही किया गया, न ही कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने में नियमो की पालना की गई। अन्तिम डिक्री पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर सरस नरस के अनुसार तकासमा नही किया गया, जिससे अन्तिम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मन्नुदेवी / शैलेन्द्र डायमा

तारीख हुक्म	601/2017 व 567/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6	

निर्धारित नियमो का उल्लंघन हुआ है। अतः प्रकरण अपील स्वीकार करते हुये अधिनस्थ न्यायालय को पुनः निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट-2 ने अपनी बहस के प्रारम्भ मे हमारा ध्यान पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 07/4/17 की ओर आकर्षित कर बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थीगण 1 व 2 द्वारा प्रश्नगत आराजी ख.न. 879/754 मे से अपना हिस्सा 2/5 एवं 1/10 का विक्रय कर दिया गया है जिससे अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही रह गया है। इस संदर्भ में 1961 SC-1103 उद्धरित की। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट-2 ने बहस में यह भी निवेदन किया कि जब अपीलार्थीगण द्वारा प्रश्नगत आराजी मे से अपने हिस्से का बेचान किया गया है, तो उनके द्वारा अपील में सम्पूर्ण आराजी का स्वयं का अधिकार होना अंकित किया जाना स्वतः ही गलत साबित हो जाता है। जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री सही पारित किया जाना स्वतः ही सिद्ध है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट-2 ने 2002(1) RRT-260

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

2002 RRT-70 उद्धरित करते हुये बहस में निवेदन किया कि प्रकरण मे अन्तिम डिक्री पारित किये जाने के पश्चात प्रारम्भिक डिक्री को चुनौती नही दी जा सकती। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 प्रेमचन्द के संदर्भ मे अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि अपीलार्थी सं- 1 व 2 द्वारा किया गया व अपने हिस्से का बेचान धारा 52 ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट में दर्शाये गये लिस-पेन्डेन्सी के सिद्धांत से प्रभावित है। अतः प्रकरण में प्रेमचन्द का कोई अधिकार निहित नही होता है। अभि० रेस्पोडेन्ट ने हमारा ध्यान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/6/2017 की ओर आकर्षित कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि तहसीलदार फुलेरा से जो नक्शे कुर्रेजात मौके के अनुसार विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त हुये है उस पर प्रतिवादी सं- 1 व 2 द्वारा कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नही हुई है। अतः मौके के कब्जे के अनुसार प्राप्त कुर्रेजात के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री पारित की गई है [illegible]

राजस्व अपील अधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मन्जुदेवी / शशेन्द्र शर्मा

तारीख हुक्म	601/2017 व 567/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 8	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय द्वारा कोई त्रुटी नहीं किये जाने से अन्तिम डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील निरस्त फरमाई जावे।	
	हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एव पत्रावलीओ का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील जो प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध है, के पैरा नम्बर-1 मे स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि "अपीलार्थी संख्या 1 व 2 व रेस्पोडेन्ट सं. 1 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की वाके ग्राम बबेरवालो की ढाणी में स्थित आराजी ख.न. 879/754 रकबा 7 बिस्वा है जिसमे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा अपीलार्थी संख्या-1 का 4/10 हिस्सा एवं अपीलार्थी सं. 2 का 1/10 हिस्सा रहा है। मौके पर अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। दौराने वाद अपीलार्थी सं. 1 व 2 द्वारा प्रेमचन्द को दिनांक 07/4/17 को अपने सम्पूर्ण हिस्से का विक्रय कर दिया गया।" उक्त से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसके द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मन्जुदेवी / राजेन्द्र डायमा

तारीख हुक्म	601/2017 व 567/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	9	

के तथ्य गलत थे एवं प्रश्नगत आराजी वादी/रेस्पोडेन्ट एवं प्रतिवादी/अपीलान्टस की संयुक्त खाते की आराजीयात थी एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री मे पक्षकारान के हिस्से का निर्धारण ही किया जाता है जो पक्षकारान द्वारा उपरोक्तानुसार स्वीकारा गया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री पारित किये जाने मे कोई त्रुटी प्रतीत नही होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 16/3/2017 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील सं. 601/2017 खारिज की जाती है।

जहाँ तक अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील का प्रश्न है पक्षकारान द्वारा प्रश्नगत आराजी पर उनके कब्जे अनुसार बंटवारा किये जाने की इत्तफाक थी एवं तदनुसार ही तहसीलदार फुलेरा द्वारा कुर्रेजात मौके के कब्जे के अनुसार विभाजन के प्रस्ताव

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मन्जुदेवी / राजेन्द्र वगैरा

तारीख हुक्म	601/2017 व 567/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रेषित किये गये थे। जिस पर प्रतिवादीगण / अपीलार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री पारित की गई है। जिसमे कोई त्रुटी प्रतीत नहीं होने से उसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 567/2017 खारिज की जाती है।	
	अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त दोनो अपीले खारिज होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/3/17 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30/6/2017 मयस्सर रखे जाते है।	
	पत्रावलीयाँ फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल	
	निर्णय आज दिनांक 08/1/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	